

देश देशांतर : सांसद नधि और चुनौतियाँ

संदर्भ

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी 'एमपीलैड' की शुरुआत 1993 में हुई थी। एमपीलैड का बेहतर और पूरा इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिये 30 अगस्त को 21वीं अखिल भारतीय समीक्षा हुई। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने अप्रैल 2014 से अब तक कुल 4 लाख 67 हजार से अधिक कामों की सफ़ारिश की जसमें से 4 लाख 11 हजार 612 कामों को मंजूरी मिली और इनमें से 3 लाख 84 हजार 260 काम 31 जुलाई, 2018 तक पूरे किये गए। समीक्षा बैठक में सांसद को कार्यकाल के दौरान मिलने वाली सांसद नधिका उपयोग करने में उसके समक्ष आने वाली रुकावटों को दूर करने पर चर्चा हुई।

पृष्ठभूमि

- एमपीलैड योजना 23 दिसंबर, 1993 को पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा शुरू की गई थी ताकि सांसदों को ऐसा तंत्र उपलब्ध कराया जा सके जिससे वे स्थानीय लोगों की जरूरतों के अनुसार स्थायी सामुदायिक परसिपत्तियों के निर्माण और सामुदायिक बुनियादी ढाँचा सहित उन्हें बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिये विकासकारी कार्यों की सफ़ारिश कर सकें।
- यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 1994 में पहली बार जारी किये गए दशा-नरिदेशों के अनुसार संचालित की जाती है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को हस्तांतरित करने के बाद दिसंबर 1994 में संशोधित दशा-नरिदेश जारी किये गए।
- इन दशा-नरिदेशों में फरवरी 1997, सितंबर 1999, अप्रैल 2002, नवंबर 2005, अगस्त 2012 और मई 2014 में पुनः संशोधन किये गए।
- दशा-नरिदेशों को संशोधित करते समय सांसदों, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित राज्यसभा और लोकसभा की समितियों, भारत के नयित्क और महालेखा परीक्षक तथा तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, सभी हतिधारकों के सुझावों और वगित वर्ष के कार्य अनुभवों को ध्यान में रखा गया है।

क्या है एमपीलैड?

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास प्रभाग को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD) के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। योजना के तहत प्रत्येक सांसद को अपने नरिवाचन क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए तक की लागत के कार्यों के बारे में ज़िला कलेक्टर को सुझाव देने का वकिलप दिया गया है।
- राज्यसभा सांसद उस राज्य के किसी एक अथवा अधिक ज़िलों में कार्यों की सफ़ारिश कर सकता है, जहाँ से वह नरिवाचति हुआ है।
- लोकसभा तथा राज्यसभा के नामित सदस्य इस योजना के तहत देश के किसी भी राज्य में अपनी पसंद के एक या अधिक ज़िलों का चुनाव कर कार्य कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय प्राथमिकताओं अर्थात् पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों जैसी स्थायी परसिपत्तियों के सृजन हेतु कुछ कार्यों का चयन कर सकते हैं।
- बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, तूफान और अकाल जैसी आपदाओं से ग्रसित क्षेत्रों में कार्यों को कार्यान्वति किया जा सकता है। उक्त आपदाग्रस्त राज्य के सुरक्षित क्षेत्रों के लोकसभा सांसद राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक के अनुमेय कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं।
- देश में विकराल प्राकृतिक आपदा आने पर सांसद प्रभावित ज़िलों के लिये अधिकतम एक करोड़ रुपए के कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। आपदा, विकराल है या नहीं यह भारत सरकार द्वारा नरिधारित किया जाएगा।
- यदि कोई नरिवाचति संसद सदस्य उस राज्य/केंद्रशासित क्षेत्र जससे वह चुना गया है, की शिक्षा एवं संस्कृतिका प्रचार दूसरे राज्य/केंद्रशासित क्षेत्र में करना चाहता है, तो वह इन दशा-नरिदेशों के अधीन एक वतित वर्ष में अधिकतम 10 लाख रुपए तक के उन कार्यों जो दशा-नरिदेशों में प्रतबिधति नहीं हैं, का चयन कर सकते हैं।
- यदि किसी कार्य की अनुमानित राशि, संसद सदस्य द्वारा कार्य के लिये इंगति राशि से अधिक है तो स्वीकृत देने से पूर्व संसद सदस्य की सहमति आवश्यक है।
- सांसद द्वारा अनुशंसित योजनाओं में दो लाख रुपए तक की योजना का कार्यान्वयन लाभक समतितथा दो लाख रुपए से अधिक 15 लाख रुपए तक की योजनाओं का कार्यान्वयन वभागीय एवं 15 लाख से अधिक की योजनाओं का कार्यान्वयन नविदि के माध्यम से किया जाता है।

सांसद नधि और चुनौतियाँ?

- 1993 में जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तब तत्कालीन सांसदों का मानना था की उनको एक राष्ट्रीय राशिमिलिनी चाहिये क्योंकि वे सांसद होने की वजह से जहाँ कहीं भी जाते हैं आमतौर पर लोग अपने गाँव या शहर की सड़कों, स्वास्थ्य केंद्र या वदियालयों की बदहाल स्थिति में सुधार की मांग करते हैं।
- लेकिन समय के साथ इसका फायदा कम नुकसान अधिक हुआ। नुकसान इसलिये हुआ क्योंकि लोगों की अपेक्षाएँ बढ़ती गईं।
- लोग सांसद से यह उम्मीद करने लगे कि गाँव की सड़क, नाली, स्कूल भी वही बनवाएगा जबकि देश में त्रसितरीय व्यवस्था है, पंचायती राज, वधानसभा तथा लोकसभा और इन तीनों की अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ हैं।
- वधायकों के लिये भी वधायक नधि की व्यवस्था की गई जिससे वे अपने हिसाब से काम करने लगे जिससे पंचायती राज की भूमिका कम हो गई और सांसदों की भूमिका ज़्यादा बढ़ गई और इसके कारण सांसदों पर दबाव ज़्यादा बढ़ गया।
- लोगों की आशाएँ, अपेक्षाएँ सांसदों से ज़्यादा जुड़ गईं जसि सांसद पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
- सांसद नधिके तहत दी गई राश भी बहुत सीमित है। इस संबंध में लोकसभा के पूर्व उपसभापति एम थम्बीदुरई की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई। कमेटी ने सभी पहलुओं पर वचार करने के बाद सांसद नधिके रकम को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए किये जाने का सुझाव दया।
- लोकसभा में रपिर्ट पेश करते समय थम्बीदुरई ने कहा था कि सांसद नधिके तहत प्रतविरु 5 करोड़ रुपए बेहद कम हैं। संसदीय कषेत्र का आकार काफी बड़ा होने के कारण यह रकम सांसदों के लिये समस्या बनती जा रही है।
- आज हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है ऐसे में पाँच करोड़ रुपए की राश पर्याप्त नहीं है।

सांसद और वधायक नधिके औचित्य पर सवाल

- पछिले कई वर्षों से सांसद नधिके लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शकियतें आती रही हैं। 2009 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि सांसद नधि और वधायक नधि में जसि पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है तथा जसि तरह जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसे देखते हुए इन नधियों की व्यवस्था तत्काल बंद कर देनी चाहिये।
- 2008 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने भी सदन में कहा था कि यह योजना तुरंत बंद कर दी जानी चाहिये।
- भारत के नयित्तरक एवं महालेखा परीक्षक (कैंग) ने भी 2010-11 की अपनी रपिर्ट में इसके क्रयान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख कया था।
- एक तरफ सांसदों को जन-लोकपाल के दायरे में लाने की मांग देश भर में चल रही है, वहीं अनेक सांसदों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले लंबित हैं।
- संसद में आपराधिक छव वाले सांसदों की संख्या 33 प्रतशित से ज़्यादा है। वैसे भी यह आम धारणा बन चुकी है कि सांसद नधि भ्रष्टाचार का पोषण करती है।
- कुछ अरसा पहले एक स्टगि के ज़रिये कुछ सांसदों को ठेके के लिये कमीशनबाज़ी करते रंगे-हाथों पकड़ा जा चुका है।
- ज़मीनी स्तर पर विकास कये जाने के लिये आवंटित सांसद नधिके रकम आमतौर पर राजनीतिक लाभ के लिये खर्च की जाती है या फरि राजनेताओं के अपने काम में खर्च होती है।
- भारत का नयित्तरक एवं महालेखा परीक्षक (कैंग) सांसद नधिके इस्तेमाल में ठेका-प्रथा और कमीशनखोरी पर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है।
- कैंग की रपिर्ट बताती है कि 11 राज्यों में सांसद नधि से प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री राहत कोष को सात करोड़ 37 लाख रुपए कसि तरह नयिम वरिद्ध दये गए।
- 14 राज्यों में सांसदों ने एयरकंडीशनर, फरनीचर खरीदने के अलावा टरसट के अस्पतालों एवं स्कूलों को कसि तरह छह करोड़ रुपए दे दये। 6 राज्यों में सांसद नधि से सात करोड़ रुपए खर्च कर कुछ गनि-चुने लोगों के नाम पर नरिमाण कार्य कराए गए।
- आमतौर पर चुनावी वर्ष में यह नधि दिलि खोलकर खर्च की जाती है। जाहरि है, इस नधिका इस्तेमाल राजनीतिक प्रयोजन के लिये अधिक हो रहा है।
- प्रशासनिक आयोग भी सांसद नधि समाप्त करने की सफिरशि कर चुका है। आयोग का तर्क है कि सांसदों का काम प्रशासनिक खर्च पर नज़र रखना है, न कि स्थानीय नकियों के काम करना।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद नधि पर नगिरानी रखने के लिये थर्ड पार्टी द्वारा नगिरानी रखने का फैसला कया था। लेकिन उसके बाद भी सरकार का आकलन है कि सांसद नधिके इस्तेमाल में पारदर्शिता नहीं है।
- ताज़ा आँकड़ों के मुताबिक देश के 200 सांसद अपनी विकास नधिका 12 हज़ार करोड़ रुपए नहीं खर्च कर पाए हैं। जसिमें से ज़्यादातर राश ज़िला एजेंसी या प्राधिकारियों के खाते में पड़ी है।

क्या सांसद नधि में बड़े बदलाव की ज़रूरत है?

- सांसद नधि बजट का हसिसा होती है जसि सांसद ही पारति करते हैं। उसी तरह राज्य सरकार का बजट वधायक पारति करते हैं। सांसदों को कुछ अतरिकित अधिकार देने के लिये सांसद या वधायक नधिके शुरुआत की गई।
- सभी राज्यों में वधायक नधि बनने के बाद यह एक तरह से राजनीतिक मामला हो गया।
- इन नधियों में वभाजन की ज़रूरत है और यह स्पष्ट कये जाने की ज़रूरत है कि स्थानीय नकियों और पंचायतों की क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी? ज़िला स्तर के लोगों तथा वधायक नधिके ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी? उसी तरह सांसद नधिके ज़िम्मेदारियाँ भी परभाषति की जानी चाहिये।
- क्योंकि अगर सांसद नधि से हैडपंप और नाली का नरिमाण होगा, जबकि वही काम वधायक भी करा सकता है, तो सांसद नधिका महत्त्व कम हो जाएगा।
- जैसा कि पहले भी सांसद नधि पर आरोप लगते रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण हो गया है। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि उन स्थानों पर सांसद नधि से अधिक काम कये जाते हैं जहाँ उनके समर्थक ज़्यादा होते हैं। अतः कार्यों का समान वतिरण होना चाहिये।
- एमपीलैड के आँकड़ों के अनुसार, इसके क्रयान्वयन, सरटफिकेशन, मासकि रपिर्ट, प्रगत रपिर्ट की ज़िम्मेदारी ज़िला प्रशासन की है जसिका क्रयान्वयन होने में काफी देरी होती है। ऐसे में उस सांसद का क्या दोष है जसिने उस फंड को जारी करने के लिये अपनी सवीकृति दी थी।
- ऐसे में उस ज़िला प्रशासन की ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिये जसि सरटफिकेट मुहैया कराने हैं तथा नगिरानी करने की ज़िम्मेदारी दी गई है।
- सांसद नधिके प्रोजेक्ट पर कौन-सी कार्यदायी संस्था काम करेगी इसमें भी मतभेद उजागर होने से कार्य प्रभावति होते देखा गया है। जब तक राज्य प्रशासन और ज़िला प्रशासन में बेहतर तालमेल नहीं होगा कठनाइयाँ आती रहेंगी।

- कसि प्रोजेक्ट पर काम करना है, इसके लिये पहले से एक सूची तैयार होनी चाहिये। सूची में दी गई परियोजनाओं का चुनाव सांसदों को करना चाहिये और फरि उस प्रोजेक्ट को ज़िला परियोजना या राज्य परियोजना में शामिल कर केंद्र की अनुमति के साथ क्रियान्वति कथि जाए तो उसकी नगिरानी बेहतर तरीके से हो सकती है।
- प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की बात कही गई है, जबकि इसके लिये कसि फंड का आवंटन नहीं कथि गया गया है जसके कारण यह योजना वफिल हो रही है। ऐसे में इसके लिये फंड का आवंटन कथि जाना ज़रूरी है।
- सांसद नधिके अंतर्गत जारी होने धन का उपयोग होने के बाद उसका अगला भाग जारी कथि जाता है। इस प्रक्रिया में भी बदलाव की ज़रूरत है।
- राज्य की क्रियान्वयन एजेंसी को विकास के प्रत सिंवेदनशील होना भी एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।

ज़िला प्रशासन में पारदर्शिता की ज़रूरत

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) की 21वीं अखलि भारतीय समीक्षा बैठक में यह राय व्यक्त की गई है कि ज़िला स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा ऑडिट प्रमाण पत्र, नधिके इस्तेमाल का प्रमाण पत्र, नधिके इस्तेमाल का अंतरमि प्रमाण पत्र, मासकि प्रगति रिपोर्ट, बैंक की ओर से दथि गया वविरण और मासकि आनलाइन प्रगति रिपोर्ट जैसे आवश्यक दस्तावेजों को मंत्रालय में समय पर जमा नहीं कथि जाना है।
- सांसद नधिका खर्च करने का वीटो पॉवर ज़िला स्तर पर है और ऐसे में ज़मिमेदारी सरिफ सांसद पर डाल देना कपैसा खर्च नहीं हुआ या सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक नहीं होगा।
- सांसद नधिके अंतर्गत कार्यों की नगिरानी ज़िला प्रशासन के द्वारा की जाती है इसमें पारदर्शिता लाए जाने की आवश्यकता है ताकि इन कार्यों का श्रेय संबंधित सांसद को भी मलि सके।
- कभी-कभी राजनीतिक कारणों से भी इन परियोजनाओं को रोकने की कोशिश की जाती है, खासकर ऐसे राज्यों में जहाँ केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकारें नहीं होती हैं।
- कसि योजना का प्राक्कलन बनाने से लेकर उसके क्रियान्वयन तक की सारी ज़मिमेदारी ज़िला प्रशासन की होती है। अगर ज़िला प्रशासन सहयोग नहीं देगा तो समय पर कसि भी प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन नहीं हो सकता।
- योजना के क्रियान्वयन में व्यावहारिक त्रुटियों को दूर करते हुए यह तय करना होगा कि MPLAD के माध्यम से कनि-कनि मदों में धन खर्च होगा, वधियक नधिके कनि मदों में खर्च की जाएगी तथा पंचायती राज व स्थानीय नकिया की क्या ज़मिमेदारियाँ होंगी। जब तक इसे परभिषति नहीं कथि जाएगा ओवरलेपिंग होती रहेगी।
- सांसद, वधियक, स्थानीय नकिया और ग्राम पंचायतों के एक ही काम करने की व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है।
- राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासन की नकारात्मक मानसकितता बदलने की ज़रूरत है।
- सही बात यह है कि इसमें जतिनी पेचदिगियाँ हैं, इन सब की ज़मिमेदारी ज़िला प्रशासन पर आकर खर्तम हो जाती है जसिकी वजह से कभी-कभी काम में वलिंब होता है और बदनामी सांसद की होती है।

एमपीलैड के अंतर्गत कथि जाने वाले कार्य

- लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा अप्रैल 2014 से अब तक कुल 4,67,144 कामों की सफिरशि की गई जसमें से 4,11,612 कामों को मंजूरी दी गई और इनमें से 3,84,260 काम 31 जुलाई, 2018 तक पूरे कर दथि गए।
- एमपीलैड कार्यक्रम के शुरु होने के बाद 31.07.2018 तक इसके लिये कुल 47,922.75 करोड़ रुपए जारी कथि जा चुके हैं जसमें से 45604.94 करोड़ रुपए इस्तेमाल कथि जा चुके हैं जो कजारी की गई राशि का करीब 95 प्रतिशत है।

योजना का प्रभाव

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य जनप्रतनिधियों को स्थानीय क्षेत्र के लोगों की बुनियादी दुवधियों से जुड़ी ज़रूरतों को सीधे तौर पर पूरा करने की सामर्थ्य प्रदान करना है।
- सांसद सदस्यों द्वारा अनुसंशति कार्यों की जाँच-पड़ताल की जाती है और पात्र कार्यों को ज़िला प्राधिकारियों द्वारा नषिपादति कथि जाता है।
- योजना के तहत शुरुआत से ही वभिन्न क्षेत्रों जैसे- पेयजल आपूर्ति, सवास्थ्य एवं परवार कल्याण, बजिली, सामुदायिक केंद्र, रेलवे, सड़क, रास्ते और पुल, सचिई, गैर-परंपरागत ऊर्जा, बस-स्टैंड/पड़ाव जैसी टकिऊ परसिंपत्तियों का नरिमाण कर स्थानीय नविसियों को लाभ पहुँचाया गया है।

नषिकर्ष

समय-समय पर यह मांग उठती रही है कि सांसद नधिका कम-से-कम आधा हसिसा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नवयुवकों के कौशल विकास पर खर्च होना चाहिये, ताकि वे शहरों में नौकरी प्राप्त कर सकें या स्वरोजगार स्थापति कर सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कसि भी मांग पर ध्यान नहीं दथि गया और न ही सरकार की नीतियों में कोई बदलाव ही आया है। कुल मलिाकर सांसद नधिकी वर्षों पुरानी व्यवस्था पुराने ढर्रे पर ही चलती नज़र आ रही है। यहाँ यह कहना भी गलत नहीं होगा कि सांसद नधिके उपयोग में पछिले अनेक वर्षों से गंभीर अनयिमतिताएँ पाई गई हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस नधिके फरि से वधिर कथि जाए क्योंकि यह जनता की गाढ़ी कमाई है। सरकार ने सांसद नधिके स्वरूप में समानता रखते हुए क्षेत्रों की भौगोलिक वभिन्नता की भी अनदेखी की है। पठार वाले क्षेत्र और मैदानी इलाकों की योजना-जरूरतों में फरक है, इसे सुधारने की कोशिश नहीं की गई है जो कि एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। उनका यह रवैया बेमेल और वभिदकारी विकास को बढ़ावा देता है। वही, ऐसे सांसदों की भी तादाद कम नहीं है जो इस राशि को छूते तक नहीं। सवाल यह है कि क्या राजनैतिक नफे-नुकसान के लिये सांसदों को उपकृत करना ही सरकार की प्राथमकितता है। आज यह जानने की ज़रूरत है कि सांसद नधिका आखरि औचित्य क्या है? क्या वाकई इससे जनता के विकास का सरकारी वादा पूरा होता है? इमानदारी से इन सवालों के जवाब खोजना देश के लिये ज़रूरी है।

